UPLL010020422021

<u>न्यायालय– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर।</u>

सत्र विचारण संख्या 287/2021
सरकार बनाम राजपाल यादव
अन्तर्गत धारा 308 सपठित धारा 34, 323 सपठित धारा 34, 504 भा.द.सं.
थाना कोतवाली ललितपुर, जनपद ललितपुर।

<u>आरोप</u>

मैं, चन्द्रोदय कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर आप अभियुक्तगण राजपाल यादव पुत्र होरल यादव निवासी जुगपुरा थाना कोतवाली ललितपुर व इन्दल यादव पुत्र रामकिशन निवासी मुहल्ला नेहरूनगर, थाना कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ:–

1– यह कि घटना की दिनॉक 12.04.2018 को समय करीब 22 बजे व स्थान गजरा आरा मशीन के पास देवगढ़ रोड, नेहरू नगर पर आप अभियुक्तगण द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में वादी को मारापीट कर गंभीर चोटें कारित कर आपराधिक मानव वध करने प्रयत्न किया गया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने ऐसा अपराध कारित किया है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 308 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि घटना की दिनाँक, समय, स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी को मारापीट कर साधारण प्रकृति की उपहति कारित की। इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में हैं।

3– यह कि घटना की दिनांक, समय व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादी को बुरी बुरी गालियां देकर उसे साशय अपमानित किया गया, जिससे लोक शांति भंग होने की संभावना उत्पन्न हुई। इस प्रकार आप अभियुक्तगण द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्त ने लगाए गए आरोपों से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

दिनॉक–19.04.2022

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

एतद्द्वारा आपको निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त आरोपों के तहत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक–19.04.2022

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

Digitally signed by Chandroday Kumar
Date: 2022.04.19 16:06:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालय– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर।

सत्र विचारण संख्या 287/2021
सरकार बनाम राजपाल यादव
अन्तर्गत धारा 308 सपठित धारा 34, 323 सपठित धारा 34, 504 भा.द.सं.
थाना कोतवाली ललितपुर, जनपद ललितपुर।

19.04.2022

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। अभियुक्तगण इन्दल व राजपाल जेरे जमानत समक्ष न्यायालय उपस्थित हैं।

पत्रावली आज आरोप पर सुनवाई हेतु नियत है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) के आरोप पर तर्क सुने तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसलिए आरोप हेतु पर्याप्त आधार नहीं है तथा उन्हें उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गयी। जिसके जवाब में विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी को मारपीट कर आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न किया गया है तथा गाली–गलौज की गयी है। इसलिए अभियुक्तगण पर आरोप विरचित किये जाने के पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 308 सपठित धारा 34, 323 सपठित धारा 34, 504 भा.द.सं. के आरोप अधिरोपित किये जाने हेतु इस स्तर पर प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 308 सपठित धारा 34, 323 सपठित धारा 34, 504 भा.द.सं. के आरोप पृथक पृष्ठ पर विरचित किये जाते हैं।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनॉक 19.05.2022 को पेश हो।

दिनॉक–19.04.2022

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
ललितपुर।